

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) गुणसूर

पीठासीन अधिकारी :- श. बलवन्त सिंह सिन्धी R.A.S

उनवान

बनाम

लक्ष्मी चन्द रतन लाल

दावा बाबत हुआ इलाज का खर्च नं. 108

मुकदमा नम्बर :- 56/15

निर्णय दिनांक :- 13.6.16

वादी की ओर से लक्ष्मी चन्द की व प्रतिवादी की ओर से
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2016 को (नाम पीठासीन अधिकारी)..

....., उपखण्ड अधिकारी, को लक्ष्मी चन्द के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - विवादात्त आरजी दाल ख. नं. 264 खण्ड 0-02 वादी

वादी को शर्त गुणसूर तहसील कोटवासीय डिक्री किया जाता है प्रतिवादी को
को शर्त हुआ इलाज का खर्च खर्च से पसन्द किया जाता है कि वादी की
आरजी से किसी गुण पर किसी प्रकार का कर या पक्का निर्माण कार्य
नहीं करे, ना जबरन बंधन करे, ना जबरन प्रवेष्टा करे, ना करवा करे,
सर्वे पञ्चकारण (खण्ड)-2 करे करेगी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श. बलवन्त सिंह सिन्धी) R.A.S

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रुपया	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस
7. आदेशिका की तामील		
जोड़		जोड़